यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अधिशासी अभियंता पीएमजीएसवाई (पीडबल्यूडी) कालसी** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **अधिशासी अभियंता पीएमजीएसवाई (पीडबल्यूडी) कालसी** के माह 03/2016 से 07/2018 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री शरत श्रीवास्तव सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री सलीम खान वरि0 लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 20-08-2018 से 04-09-2018 तक श्री सुनील कल्ला वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा मे माह 04/2014 से माह 02/2016 तक के लेखाभिलेखों का निरीक्षण किया गया था। इकाई की लेखापरीक्षा दिनांक 05/03/2016 से 18/03/2016 तक श्री वी पी सिंह सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री दीपेश कुमार सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा श्री डी एन मिश्रा वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण मे संपादित की गयी थी।

2. **(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** इकाई द्वारा मुख्यतः ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जाता है। इस इकाई के अंतर्गत चकराता, तयूनी, विकासनगर,एवं कालसी के क्षेत्र आते है।

इकाई द्वारा केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त धनराशि, राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त धनराशि एवं कोषागार द्वारा प्रदत्त धनराशि से सड़क निर्माण का कार्य किया जाता है।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष**		**स्थापना**		**गैर स्थापना**		**आधिक्य**	**बचत**
	स्थापना ₹	**गैर स्थापना ₹**	**आवंटन ₹**	**व्यय ₹**	**आवंटन ₹**	**व्यय ₹**	**(+) ₹**	**(-)₹**
2015-16	----	41.78	289.77	276.78	4431.19	3832.10	-----	35.98
2016-17	----	35.98	112.09	110.45	3861.71	3472.02	-----	46.53
2017-18	----	46.53	157.50	157.50	4814.89	4244.66	-----	02.45

नोट:- वर्ष 2015-16 मे रु 617.88 लाख, 2016-17 मे रु 380.78 लाख, 2017-18 मे रु 640.82 लाख का समर्पण किया गया ।

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्राप्त (₹ लाख)	व्यय अधिक्य(+) (₹ लाख)	बचत(-) ` (₹ लाख)
2015-16	प्रोग्राम निधि	4237.09	3632.19	604.89
	प्रशासन (केंद्र)	10.13	9.53	0.60
2016-17	प्रोग्राम निधि	3409.13	3063.46	345.67
	प्रशासन (केंद्र)	16.22	14.30	1.92
2017-18	प्रोग्राम निधि	4532.09	3949.00	583.09
	प्रशासन (केंद्र)	13.50	13.43	0.07

(iii) इकाई को बजट आवंटन (स्रोत बताया जाय) द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई इकाई को केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं कोषागार मद से धनराशि प्राप्त होती है।श्रेणी इकाई श्रेणी "अ" के अंतर्गत आती है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

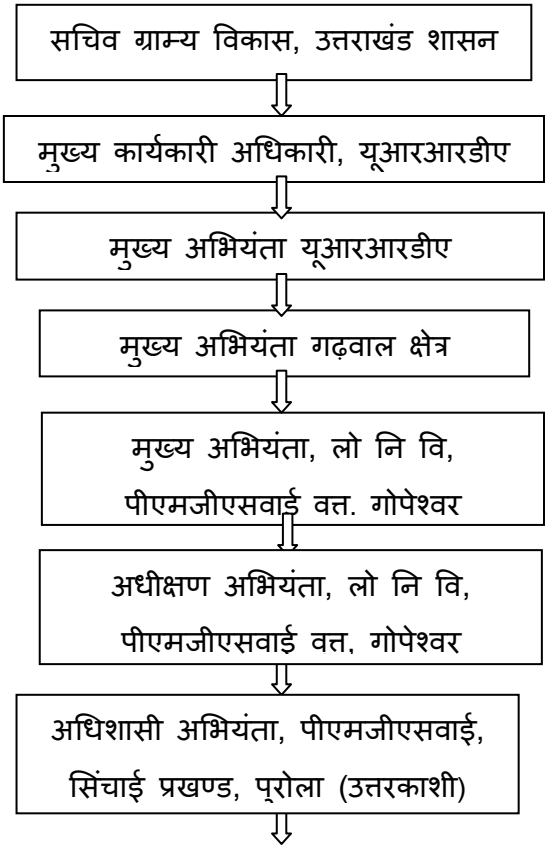

सहायक अभियंता पीएमजीएसवाई,
सिंचाई प्रखण्ड, पुरोला (उत्तरकाशी)

⇩

कार्यालयी विभागीय अधिकारी, कनिष्ठ
अभियंता एवं कर्मचारी पीएमजीएसवाई,
सिंचाई प्रखण्ड, पुरोला (उत्तरकाशी)

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में कालसी देहरादून के अंतर्गत चकराता, कालसी, त्यूनी, विकासनगर का कार्य क्षेत्र आता है। लेनदेन की लेखापरीक्षा संपादित को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन अधिशासी अभियंता पीएमजीएसवाई (पीडबल्यूडी) कालसी देहरादून की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह03/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। अधिशासी अभियंता पीएमजीएसवाई (पीडबल्यूडी) कालसी का विस्तृत विश्लेषण किया गया।

1. पीपरा मीनस किमी 5 से वायला मोटर मार्ग (स्टेज-1)

2. कांडा बैंड से काँड़ा ट्यूड़ाड़ मोटर रोड

3. लाखामंडल से खबाऊ मोटर मार्ग

4. देमन से देसाऊ मोटर मार्ग

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा18 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो(अ)

प्रस्तर-1 पीपरा मीनस के किमी 5 से वायला मोटर मार्ग (स्टेज-1) निर्माण कार्य मे अपील पर तीन वर्ष व्यतीत होने के पश्चात भी कोई कार्यवाही न किये जाने के कारण रु 293.88 लाख की लंबित वसूली।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज –V के अंतर्गत पीपरा मीनस के किमी 5 से वायला मोटर मार्ग (स्टेज-1) निर्माण कार्यो हेतु रु 468.41 लाख एवं अनुरक्षण मद हेतु रु 40.71 लाख की प्राविधिक स्वीकृति माह 08/2008 मे दी गयी थी। जिसके अंतर्गत 23.42 किमी लंबाई मे मोटर मार्गो का निर्माण होना था।
कार्य का अनुबंध सं0 05/एस0ई0-पीएमजीएसवाई-9/2008/09 दिनांक 18.10.2008 के द्वारा गठित किया गया था। जिसमे निर्माण कार्य की लागत रु 515.11 लाख एवं अनुरक्षण मद की लागत रु 41.30 लाख थी । अनुबंध निविदा दर से 19.97 प्रतिशत अधिक थी। अनुबंध के अनुसार कार्य आरंभ करने की तिथि 18.10.2008 व कार्य समाप्ति की तिथि 17.10.2009 थी। इकाई द्वारा कार्य की समयवृद्धि 30.06.2013 तक प्रदान की गयी थी। इकाई द्वारा माह 02/2010 को रु 13.51 लाख के अतिरिक्त मद की स्वीकृति भी की गयी थी। अर्थात निर्माण कार्य मे रु 528.62 लाख (रु 515.11 लाख + रु 13.51 लाख) का कार्य किया जाना था।
अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि अनुबंध के अंतर्गत ठेकेदार द्वारा रु 27.90 लाख की बैंक गारंटी विभाग के पक्ष मे दी गयी थी। जिसकी वैधता अवधि माह 04/2011 मे ही समाप्त हो गयी थी। जिसके नवीनीकरण हेतु न तो इकाई द्वारा और न ही ठेकेदार द्वारा कोई प्रयास किया गया। ठेकेदार द्वारा बैंक के सभी लेनदेन वर्ष 2012-13 मे बंद कर दिये गये थे। जिस कारण आगे बैंक गारंटी का नवीनीकरण भी नहीं हो पाया। ठेकेदार से रु 27.90 लाख मे से मात्र रु 6.90 लाख की वसूली माह 5/2013 के 20वे देयक से इकाई द्वारा की गयी थी । अवशेष रु 21.00 लाख की वसूली वर्तमान तक इकाई स्तर पर लंबित थी ।
समयावधि तक कार्य मात्र 17.75 प्रतिशत ही सम्पन्न किया गया था एवं बैंक गारंटी की वैधता अवधि 2011 मे समाप्त होने तथा कार्य की गुणवत्ता एटीआर के अनुसार वर्ष 2008 से ही अत्यंत खराब होने के बावजूद मई 2013 मे 19वे एवं 20वे रनिंग बिल के तहत क्रमशः रु 24.96 लाख एवं रु 14.68 लाख का भुगतान इकाई द्वारा किया गया था,जो नियमसंगत नहीं था।

समयावधि माह 06/2013 तक ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया गया। जिस कारण इकाई को ब्रीच आफ कांट्रैक्ट के अंतर्गत आधे अधूरे पर ही अनुबंध को वर्ष 2014 मे अंतिम माप लेकर समाप्त कर दिया गया। जिस पर रु 237.99 लाख का अवशेष कार्य एवं रु 82.47 लाख की पेनाल्टी के साथ कुल रु 320.46 लाख की वसूली ठेकेदार से की जानी थी। ठेकेदार द्वारा वसूली हेतु प्रकरण उच्चन्यायालय मे ले जाने पर, माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल के आदेशानुसार संबन्धित फ़र्म की सुनवाई सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गयी और ठेकेदार को दोषी पाया गया। इकाई द्वारा मई 2015 को जिलाधिकारी महोदय से रु 270.07 लाख की वसूली हेतु अनुरोध किया गया था । आगे,ठेकेदार द्वारा वसूली के विरुद्ध अपील करने पर जून 2015 मे Additional chief standing counsel Uttarakhand Govt., Office of The High Court Nainital महोदय द्वारा आदेशित किया गया था कि " the petitioner Shall file on appeal as per clause 24.2 of the contract within 15 days before chief engineer PMGSY Dehradun and in case the appeal is filed, it shall be decided in accordance with law and the Hon'ble court further directed that till the disposal of the Appeal filed by the petitioner, no recovery shall be made from the petitioner."

इकाई द्वारा वर्ष 2015 के बाद से तीन वर्ष व्यतीत होने के बावजूद इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी । आगे, अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि बिलो की अद्यतन स्थिति के अनुसार वर्तमान तक इकाई द्वारा रु 19.08 लाख सिक्यूरिटी मे एवं रु 7.80 लाख अन्य के अंतर्गत कटौती की गयी थी । अतः कुल कटौती रु 26.88 लाख की ही की

गयी थी। जबकि कुल सकल भुगतान रु 440.61 लाख का 7.5 प्रतिशत की दर से रु 33.04 लाख की प्रतिभूति जमा की कटौती इकाई द्वारा की जानी थी ।

उक्त सभी कमियो के संबंध मे इकाई से पूछे जाने पर बताया गया कि उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार मई 2013 मे दो बिलो के माध्यम से रु 39.64 लाख का भुगतान किया गया। प्रतिभूति जमा त्रुटिवश रु 6.16 लाख (33.04-26.88) कम काटा गया है। तथा शीघ्र ही न्यायालय से निर्णय प्राप्त करने हेतु इकाई द्वारा कार्यवाही की जायेगी।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं था, इकाई को वर्ष 2015 से तीन वर्ष व्यतीत होने के पश्चात भी कार्यवाही न किया जाना, प्रतिभूति जमा रु 6.16 लाख कम काटा जाना, रु 21.00 लाख की बैंक गारंटी की वसूली न करके माह 05/2013 मे रु 39.64 लाख का भुगतान किया जाना, इस तथ्य को इंगित करता है कि प्रकरण को प्रारम्भ से ही गंभीरता से नहीं लिया जा रहा । परिणामस्वरूप इकाई जहां एक ओर रु 293.88 लाख (रु 320.46 लाख – रु 26.88 लाख) की वसूली से वंचित रहा। वही दूसरी ओर अवशेष कार्य को नये अनुबंध से करवाने से रु 123.34 लाख अधिक लागत पर कार्य करवाना पड़ा।

अतः अपील पर तीन वर्ष व्यतीत होने के पश्चात भी कोई कार्यवाही न किये जाने के कारण रु 293.88 लाख की वसूली के लंबित रहने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

भाग 2 ब

प्रस्तर –1- पीपरा मीनस मोटर मार्ग के प्रतिकर भुगतान मे रु 23.12 लाख के अधिक भुगतान तथा छह स्वीकृत मार्गो के प्रतिकर मे धनराशि रु 16.89 लाख का लंबित भुगतान

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत मोटर मार्ग निर्माण के दौरान मलबे से क्षतिग्रस्त परिसंपतियों (फसल, पेड़ एवं दबान) के प्रतिकर का भुगतान किया जाता है।

इकाई के प्रतिकर से संबन्धित अभिलेखो की जांच के दौरान पाया गया कि इकाई द्वारा फेस -5 के अंतर्गत पीपरा–मीनस मोटर मार्ग के निर्माण के लिए एक काश्तकार की कुल भूमि 1.9000 हेo मे से 0.1908 हेo पहाड़ कटान मे छतिग्रस्त हुई एवं मार्ग के नीचे दबान से 0.9840 हेo मे लगे फलदार सेब, नाशपाती अखरोट एवं खुमानी के पेड़ मलबे –बोल्डरों से छतिग्रस्त हुए। आगे जांच मे यह भी पाया गया कि प्रभावित भूमि मे लगे पेड़ो मे से 125 पेड़ सेब के अवशेष थे । अर्थात 0.1908 हेo मे लगे कुल पेड़ो मे से 125 पेड़ अवशेष थे ।

उपरोक्त के प्रतिकर के भुगतान के सम्बन्ध मे इकाई द्वारा जिला उध्यान अधिकारी देहरादून से मार्ग निर्माण से छतिग्रस्त हुए पेड़ो की आयु, संख्या एवं श्रेणी का आंकलन करने के लिए अनुरोध किया गया, परंतु जिला उध्यान अधिकारी देहरादून द्वारा निरीक्षण मे पाया कि बोल्डरों एवं मिट्टी आदि से फल पोधे दबे होने के कारण पोधों की गिनती करना सम्भव नहीं था। परंतु जिला उध्यान अधिकारी,देहरादून द्वारा फलपौध की दर एवं रोपण की दूरी के मानक प्रेषित किए गये थे ।

इकाई द्वारा 0.1980 हेo मे 6x6 मीo की रोपण दूरी रु 6370/- की दर के मानक के अनुसार कुल 53 पेड़ो के लिए रु 3,37,610/- के प्रतिकर की गणना की गयी है। जो कि मानको के अनुसार थी । परंतु मार्ग के नीचे दबान से 0.9840 हेo मे लगे फलदार सेब, नाशपाती, अखरोट एवं खुमानी के पेड़ मलबे –बोल्डरों से छतिग्रस्त हुए फलदार पेड़ो की गणना निम्न प्रकार से की गयी थी ।

कुल क्षतिग्रस्त भूमि : 0.9840 हेo (9840 वर्ग मीo)

क्षतिग्रस्त पेड़		दर	प्रतिकर
सेब	490	6370	31,21,300/-
अखरोट	03	8158	24,474/-
खुमानी	01	2058	2058/-
नाशपाती	1374935	----	676095/-
लकड़ी की कीमत			(-) 70056/-
कुल प्रतिकर			37,53,871/-

जिला उध्यान अधिकारी, देहरादून द्वारा फलपौध की रोपण की दूरी के मानको के अनुसार अखरोट के लिए 10x 10 मीo, खुमानी के लिए 6x6 मीo एवं नाशपाती के लिए 6x6 मीo की रोपण दूरी थी । अर्थात कुल 0.9840 हेo (9840 वर्ग मीटर) मे से अखरोट, खुमानी एवं नाशपाती के पेड़ 10200 वर्ग मीo मे थे तथा सेब के पेड़ 4572 वर्ग मीo (9840- 5268) वर्ग मीo मे ही थे । विवरण निमन्वत है :-

पेड़ का विवरण	**रोपण के मानक**	**कुल भूमि**
अखरोट 03	10x10मीo	300 वर्ग मीo
खुमानी 01	6x6मीo	36वर्ग मीo
नाशपाती 137	6x6मीo	4932वर्ग मीo
	कुल वर्ग मीo	**5268 वर्ग मीo**

मानको के अनुसार रु 6370/- की दर के पेड़ के लिए 6x6 वर्ग मीo की रोपण दूरी के अनुसार 4572 वर्ग मीo मे कुल 127 सेब के पेड़ो के प्रतिकर की गणना की जानी चाहिए, जिसका कुल प्रतिकर रु 8,08,990/- आता है । परंतु इकाई द्वारा 490 पेड़ो के लिए रु 31,21,300/- का भुगतान किया गया । अर्थात प्रतिकर भुगतान मे रु 2312310/- का अधिक भुगतान किया गया ।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि यदि इकाई द्वारा सेब के पेड़ो की रोपण दूरी 3.5x 3.5 वर्ग मीo ली गई है तो इसके अनुसार4572 वर्ग मीo मे कुल 374 सेब के पेड़ो की ही गणना होती है, परंतु प्रति पेड़ दर 6370/- लेने का कोई औचित्य नहीं बनता था । क्योकि यह दर श्रेणी अ के पेड़ जिनकी रोपण दूरी 6x6 मीटर है उन पर लागू होती है। जैसा कि 1.980 वर्ग मीटर के पेड़ो मे किया गया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी पाया गया कि इकाई के छ: स्वीकृत मार्गो के प्रतिकर के लिए अधिग्रहित नाप भूमि एवं मार्ग निर्माण से क्षतिग्रस्त हुई परिसंपतियों (फसल, पेड़ एवं दबान) मे से कई अधिग्रहित नाप भूमि एवं क्षतिग्रस्त परिसंपतियों के प्रतिकर की धनराशि रु 16,89,355/- (भूमि: 727600+क्षतिग्रस्त परिसंपतिया:961755) लेखापरीक्षा अवधि (अगस्त 2018) तक भी वितरित नहीं की गई थी ।

इकाई से इस सम्बन्ध मे पूछे जाने पर बताया गया कि पेड़ो की गणना के संबंध मे उद्यान विभाग की राय उपरांत ही प्रतिकर की राशि उच्चाधिकारियों एवं माननीय न्यायालय को प्रस्तुत किया गया था। तथा लाभार्थियो के प्रतिकर भुगतान के संबंध मे कहा गया कि लाभार्थियों से संपर्क न होने के कारण भुगतान नहीं किया जा सका।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं था क्योकि उद्यान विभाग द्वारा मात्र मानक बताये गये थे तथा पेड़ो कि गणना विभाग द्वारा की गयी थी जो त्रुटिपूर्ण थी। साथ ही काश्तकारों के लंबित भुगतान के संबंध मे इकाई को कैंप इत्यादि लगाकर तथा विशेष प्रचार के माध्यम से लोगो को जागरूक किया जाना चाहिये था। जो कि नहीं किया गया। और इतने पुराने प्रकरण मे भी प्रतिकर वर्तमान तक लंबित था।

अतः पीपरा मीनस मोटर मार्ग के प्रतिकर भुगतान मे रु 23.12 लाख के अधिक भुगतान तथा छह स्वीकृत मार्गो के प्रतिकर मे धनराशि रु 16.89 लाख के लंबित भुगतान का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

भाग 2 ब

प्रस्तर-2- सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन के बिना रु 441.20 लाख के आधिक्य मदों का भुगतान किया जाना ।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना मे फेज xiii के अंतर्गत चकराता लाखामंडल से खबऊ मोटर मार्ग (लंबाई 29 किमी) स्टेज-1 एवं स्टेज-2 हेतु रु 2423.79 लाख (रु 2194.52 लाख निर्माण कार्य एवं रु 229.27 लाख अनुरक्षण कार्य) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा रु 2330.81 लाख (रु 2186.86 लाख निर्माण कार्य एवं रु 143.95 लाख अनुरक्षण) की प्राविधिक स्वीकृति माह 08/2016 मे प्रदान की गयी थी। इस कार्य के लिये अनुबंध सं0 02/xiii/CE-URRDA/2016-17 दिनांक 03.10.2016 को गठित किया गया था। जिसकी अनुबंध राशि रु 2317.27 लाख (निर्माण रु 2173.35 लाख एवं अनुरक्षण रु 143.92 लाख) थी। कार्य प्रारम्भ का माह 10/2016 एवं पूर्णता का माह 10/2017 था।

भुगतान से संबन्धित अभिलेखो एवं बिलो की जांच मे पाया गया कि इकाई द्वारा II वे रनिंग बिल के द्वारा रु 299.95 लाख का भुगतान किया गया । जिसमे CONSTRUCTION OF RR STONE MASONARY IN CEMENT MORTAR 1:5 मे रु 9204.40 CUM के लिये रु 3610/- कि दर से रु 332.28 लाख का भुगतान किया गया । परंतु अनुबंध/बीओक्यू के अनुसार इस मद मे 7982.23 CUM ही कार्य किया जाना था। अतः 1222.17 CUM मे रु 441.20 लाख का अधिक भुगतान बिना सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के किया गया।

इस संबंध मे इकाई से पूछने पर बताया गया कि विभिन्नता विवरण अंतिम बिल के समय अनुमोदन करवा लिया जायेगा ।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं था, क्योकि नियमानुसार आधिक्य मदों का भुगतान से पूर्व सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जानी चाहिये थी।

अतःसक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन के बगैर रु 441.20 लाख के आधिक्य मदों का भुगतान किये जाने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

भाग 2 ब

प्रस्तर –3- रु 27.56 लाख की एलडी की कटौती न किया जाना ।

It is clearly specified in Contract Data to General Conditions of Contract clause 44.1 that "amount of liquidated damages for delay in completion of works would be minimum 1 percent of the Initial Contract Price and maximum 10 percent of the Initial Contract Price".
जबकि एलडी के संबंध मे उपलब्ध अभिलेखो के अनुसार निम्नलिखित विलंबित कार्यो मे या तो एलडी की कम कटौती की गयी थी या कटौती की ही नहीं गयी थी।

(रु लाख में)

क्रम सं0	मार्ग का नाम	अनुबंध की धनराशि	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि (अनुबंध के अनुसार)	कार्य समाप्ति की वास्तविक तिथि	काटी गयी एलडी की राशि	नियमानुसार कम से कम काटी जाने वाली कटौती (1 प्रतिशत)	अंतर की राशि
1.	जे पी आरआर किमी 156 से रडु मुंधौल मोटर मार्ग	315.54	29.12.2006	28.12.2007	31.03.2010	-	3.16	3.16
2.	लोखंडी पीपरा-मीनस से वायला मोटर मार्ग	515.60	18.10.2008	17.10.2009	01.06.2017	---	5.16	5.16
3.	चकराता त्युनि मोटर मार्ग से वाणा-चिलहान मोटर मार्ग	286.31	28.02.2011	22.02.2012	31.03.2014	---	2.86	2.86
4.	जे पी आर आर रायगी से कूल्हा मोटर मार्ग	276.00	17.05.2013	16.05.2014	15.11.2014	---	2.76	2.76
5.	लांघा-बिनहार मोटर मार्ग	344.80	12.06.2013	11.06.2014	30.04.2015	--	3.44	3.44
6.	जेपीआरआर किमी 156 से रडु-मुंधौल मोटर मार्ग	629.91	22.06.2013	21.09.2014	20.06.2014	---	6.29	6.29
7.	लोखंडी टिब्बा से लोहारी मोटर मार्ग	158.75	21.10.2013	20.10.2014	28.10.2015	---	1.59	1.59
8.	धोइरा से देऊ मोटर मार्ग	451.44	21.10.2014	31.12.2015	28.02.2018	2.21	4.51	2.30

इकाई से इस संबंध मे पूछे जाने पर बताया गया कि पूर्व मे अर्थदण्ड के साथ एलडी भी काटे जाने का प्रावधान था। वर्तमान मे मात्र एलडी काटी जा रही है।
इकाई का उत्तर स्वतः इस तथ्य की पुष्टि करता है कि पूर्व मे अर्थदण्ड के साथ एलडी भी काटे जाने का प्रावधान होने के बावजूद या तो एलडी कम काटी गयी या काटी ही नहीं गयी।
अतः आठ प्रकरणो मे रु 27.56 लाख की एलडी न काटे जाने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर-4- **त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के कारण रु. 1.27 लाख का अधिक भुगतान।**

छठे वेतन आयोग के शासनादेश 41/xxvii/(7)/2008 दिनांक 17.10.2009 के दिशानिर्देश के बिन्दु सं. 12 (1एवं2) के अनुसार संशोधित वेतन में पदोन्नति दो प्रकार से हो सकती है । (1) एक ही वेतन बैंड के अंदर एक ग्रेड वेतन से दूसरे वेतन ग्रेड वेतन में पदोन्नति (2) एक वेतन बैंड से दूसरे वेतन बैंड में पदोन्नति, जनवरी 2006 को या उसके पश्चात संशोधित वेतन ढांचे में एक ग्रेड पे से दूसरे ग्रेड पे में पदोन्नति की स्थिति में वेतन निर्धारण, वेतन बैंड में वेतन में अनुमन्य ग्रेड वेतन जोड़ कर इसमें 03 प्रतिशत की धनराशि को 10 के अगले गुणांक में पूर्णांकित किया जाएगा। इस धनराशि को वेतन बैंड में मौजुदा वेतन में जोड दिया जायेगा। इसके बाद वेतन में इस वेतन के अतिरिक्त पदोन्नत पद के समकक्ष ग्रेड वेतन में वेतन प्रदान किया जायेगा। जहाँ पदोन्नति में वेतन बैंड में परिवर्तन भी हो ऐसी स्थिति में इसी प्रावधान के अनुसार कार्यवाही की जाएगी, तथापि प्रोनति के ठीक पूर्ण प्राप्त वेतन वृद्धि जोड़ने के बाद जहाँ वेतन बैंड में पदोन्नति वाले के उच्च वेतन बैंड के न्यूनतम से कम होगा तो इस वेतन को उक्त वेतन बैंड में न्यूनतम के बराबर बढ़ा दिया जायेगा।

कालसी इकाई मे कार्यरत श्री विनोद शर्मा अपर सहायक अभियंताओं की सेवा पुस्तिका एवं अभिलेखो की नमूना जांच करने पर यह देखा गया कि श्री विनोद शर्मा दिनाक 17.03.2011 को वेतन (12280+4200=16480/-) मिल रहा है। उनकी पदोन्नति दिनांक 18.11.2011 को जीपी 4200 से 4800 पर पदोन्नति की गई है। उन की पदोन्नति होने पर पर GP-4800 के न्यूनतम (13350+4800= 18570) वेतन में निर्धारण किया गया जो कि त्रुटिपूर्ण है। जिसके कारण दिनांक 18.03.2011 से 30.07.2018 तक वेतन एव भत्तों पर रु. 1.27 लाख अधिक वेतन दिया गया। विवरण संलग्न है, लेखापरीक्षा द्वारा इस संदर्भ में पूछे जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि अधिक वेतन के भुगतान की पुष्टि की जाती है। पुनः जाँच कर उचित कार्यवाही की जायेगी।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-III</u>

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या**	**भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या**
2013-14	02	01
2015-16	00	03

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण**	**अनुपालन आख्या**	**लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी**	**अभ्युक्ति**
अनुपालन आख्या सक्षम प्राधिकारी को संस्तुति हेतु इकाई द्वारा प्रेषित की गयी है। संस्तुति के पश्चात कार्यवाही की जायेगी ।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **अधिशासी अभियंता पीएमजीएसवाई (पीडबल्यूडी) कालसी देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

(i) अधिष्ठान मद के कुछ बाउचर जिनका उल्लेख नमूना जांच मे विस्तृत रूप से किया गया है।

2. **सतत् अनियमितताएः**

शून्य"

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	**नाम**	**अवधि**
1.	श्री राजेश कुमार	विगत लेखापरीक्षा से 10-01-2018
2.	श्री बी सी पंत	10-10-2018 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति अधिशासी अभियंता पीएमजीएसवाई (पीडबल्यूडी) कालसी देहरादून को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (संबंधित क्षेत्र का नाम) को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.